न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 18/455

शंकर लाल आत्मज श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कल्याणी खेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार करवर जिला बून्दी ।

--रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार, करवर जिला – बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम कल्याणीखेडा की आराजी खसरा नं. 191 की 10 बीघा 02 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने से 30 दिवस (एक माह) के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 29.07.2015 द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2018 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज कर दी ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार साहब करवर के निर्णय दिनांक 08.08.2014 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी । यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2015 स्वीकार करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए पत्रावली में पूर्ण साक्ष्य व दस्तावेज प्राप्त कर विधि सम्मत अपना निष्रय पारित करे परन्तु नायब तहसीलदार ने अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03.2015 की कोई पालना नहीं की । मौके पर सर्वे नहीं करवाया गया, पक्षकारान की साक्ष्य नहीं ली गई और न ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने तलाई पर कब्जा नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट ने बिना पैमाईश किये अपीलान्ट का तलाई पर कब्जा माना है, मौके पर तलाई नहीं है । पूर्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2015 से अपील स्वीकार करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए पत्रावली में पूर्ण साक्ष्य व दस्तावेज प्राप्त कर विधि सम्मत अपना निष्रय पारित करे परन्तु नायब तहसीलदार ने अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03.2015 की कोई पालना नहीं की मौके पर सर्वे नहीं करवाया गया, पक्षकारान की साक्ष्य नहीं ली गई और न ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने नायब तहसीलदार करवर द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । निर्णय के अनुसार अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा भूमि किस्म गै0मु0 तलाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है । अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी के निर्णय के अनुसार भी अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 151 की रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा भूमि किस्म गै0मु0 तलाई पर कब्जा किया है । राजस्व रिकॉर्ड में आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज है । ऐसी स्थिति में उक्त भूमि की मौके पर सर्वे/पैमाईश कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा नहीं हटाया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 बहाल रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा